<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 07 / 2024 (राजसमन्द डिक्री)</u>

कनकमल पिता छोगालाल, जाति महाजन, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती रखेली बाई पुत्री छोगालाल पत्नी डालचन्द, जाति महाजन, निवासी शिवपुर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कुसुम्बी बाई बेवा छोगालाल, जाति महाजन, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक
26–05–2018 प्रकरण संख्या 28 / 13

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री दिनेश गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रे.सं. 1

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 14–10–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम में वादीया के पिता के स्वामित्व, खातेदारी एवं कब्जे की आराजी नंबर 8798, 8825, 8817 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। मूल पुरूष छोगालाल जी होकर वादिया उनकी पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 छोगालाल की बेवा है। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुपात में काबिज है, लेकिन प्रतिवादीगण ने चुपचाप विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया वादिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:33 IST
Reason: SelfAttested

नाम अंकित नहीं कराया है एवं उक्त आधार पर जमाबन्दियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित हो गया है, जो प्रभाव शून्य है। अतः वादिया को विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–05–2018 को निर्णय पारित करते हुए वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–03–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26–05–2018 की जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। काफी बार चक्कर लगाने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, किन्तु जानबूझकर अपील करीब 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है, जो बेरून मयाद होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट की बहन व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अपीलान्ट की माता है। अपीलान्ट की माता कुसुम्बी बाई का देहावसान दिनांक 12–04–2023 को हो गया है, जिसके एक वर्ष बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:33 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्रस्तुत की है। अतः उक्त अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 2017 (DEL) Page 34 से 39, AIR 2012 (KAR) Page 186 से 187, AIR 1999 (SC) Page 1484 से 1486 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील करीब 5 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण उन्होंने बताया है वह 5 वर्ष 9 माह के विलम्ब के लिए पर्याप्त एवं उचित कारण प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति का प्रश्न है, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कुसुम्बी बाई का देहावसान दिनांक 05–04–2023 को हो चुका है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–03–2024 को प्रस्तुत की गयी है। अर्थात अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कुसुम्बी बाई अपीलान्ट की माता है, ऐसी स्थिति में एक पुत्र को अपनी माता की मृत्यु की जानकारी नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। तद्नुसार अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26–05–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:33 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**.............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** ....

कनकमल पिता छोगालाल, जाति महाजन, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द <u>बनाम</u> श्रीमती रखेली बाई पुत्री छोगालाल पत्नी डालचन्द, जाति महाजन, निवासी शिवपुर तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा व अन्य

अपील नं॰...**07 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..............
......**भीम**........... मुकाम................मुवर्खे.............26...........माह........05....................**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**14**.....माह......10.......सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.........**श्री दिनेश गुप्ता** ....मिनजानिब अपीलान्ट व...........**श्री मुकेश तलेसरा**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26–05–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**14**.........माह.........**10**.........**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:12:33 IST
Reason: SelfAttested